(6897) 33

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016पुर्नविलोकन रिव्यू-4138-II-16

पारसनाथ पुत्र श्री जगदवेदराम (फौत)

वारिसान

1. श्रीमती सुखरनिया पत्नी स्व. श्री पारसनाथ
2. संतोष कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्व. श्री पारसनाथ
3. रामचरित्र चतुर्वेदी पुत्र स्व. श्री पारसनाथ समस्त निवासीगण ग्राम परसवार तहसील चुरहट जिला सीधी म.प्र.
4. लीलावती पत्नी श्री रामदास तिवारी पुत्री स्व. श्री पारसनाथ निवासीर ग्राम गुर जिला रीवा
5. आशा पाण्डे पत्नी श्री रमाकांत पाण्डे पुत्री स्व.श्री पारसनाथ निवासी ग्राम व पोस्ट बर्डखरा जिला सीधी म.प्र.
6. गीता पाण्डे पत्नी श्री महेन्द्र पाण्डे पुत्री स्व.श्री पारासनाथ निवासी रायपुर (भनपुरी) छत्तीसगढ

...... आवेदकगण

बनाम

1. वाल्मीक प्रसाद पुत्र श्री जगददेवराम निवासी ग्राम परसवार तहसील चुरहट जिला सीधी म.प्र.
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला सीधी म.प्र.

..... आवेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर श्री के.सी. जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 1407III/2011 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2016 के विरूद्व पुर्नविलाकन प्रस्तुत है।

श्रीमानजी ,

आवेदकगण की ओर से पुर्नविलोकन आवेदन निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत आदेश पारित किया है और अभिलेख को बगैर देख मामले के अभिलेख पर सर्वाग पूर्ण अध्ययन व मनन करके न्यायोचित आदेश पारित किया है जो पुर्नविलोकन किए जाने योग्य है ।
2. यहकि, ग्राम परसवार तहसील चुरहट में स्थित भूमि नम्बर 461/1 रकवा 943 हे. के जुज रकवा 0.440 हे.शासकीय भूमि थी । उक्त भूमि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा मकान बनाकर आबाद कर लिया था। तत्पश्चात नायब तहसीलदार तहसील चुरहट द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.1994 द्वारा प्रकरण मे विधिवत प्रक्रिया का पालन किये बिना ही व्यवस्थापन अनावेदक क्रमांक 1 के हित में पारित किया गया था।
3. यहकि, नायब तहसीलदार तहसील चुरहट द्वारा पारित आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 289/ 2006- 07 प्रस्तुत किया गया था जिसमें कलेक्टर जिला सीधी द्वारा आदेश दिनांक 02.09.2009 पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुसार आवेदक की पुनरीक्षण स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार चुरहट द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.1994 को अपास्त किया गया ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4138–दो / 16 जिला –सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –12–17	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 1407–तीन / 11 में पारित आदेश दिनांक 20.9.16 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 4138–दो / 16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1407–तीन / 11 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 20.09.16 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु 4138–दो / 2016 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक	

तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य